न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 07/2024

राजविन्द्र सिंह बनाम सुखदेव सिंह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सपठित आदेश 2 नियम 2सिविल प्रक्रिया संहिता

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मोहन लाल माहर अधिवक्ता अप्रार्थी
2. श्री सुभाष मिढ़ढा अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 27.02.2025

वकील श्री मोहनलाल माहर द्वारा अप्रार्थी सुखदेव सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 11, आदेश 22 नियम 2 सी.पी.सी. पेश किया गया। जिसमे अंकित तथ्यानुसार उक्त अनुवानी प्रकरण में आज की तारीख पेशी वास्ते जॉच प्रतिवेदन एवं जवाब हेतु मुर्कर है। प्रार्थी के पिता एवं प्रार्थी संख्या 2 ससुर तथा अप्रार्थी संख्या 3 हरपाल के ही पुत्रगण मुकन्द सिंह व राजविन्द्र सिंह पिसरान मेहर सिंह द्वारा अन्य प्रार्थीगण के साथ एक नियमित प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का व अनुवानी कुलदीप सिंह बनाम नरसिंह आदि प्रकरण संख्या 833/18 श्रीमान जी के समक्ष वाके चक 3 बड़ा के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5–6–15–16–25 में 02–02 बिस्वा रास्ता स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जो दिनांक 03.10.2018 को स्वीकार फरमाया गया। रास्ता स्वीकृति दिनांक 03.10.2018 के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील अनुवान नरसिंह बनाम कुलदीप सिंह को अपील संख्या 158/18 पेश की जो दिनांक 19.08.2000 को स्वीकार फरमाई जाकर मामला पुनः निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया गया। निर्णय दिनांक 19.08.2000 के विरूद्ध कुलदीप सिंह वगैरहा वनाम नर सिंह द्वारा निगरानी संख्या 2990/20 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रेषित की गई जो दिनांक 20.02.2023 को निरस्त फरमा दी गई। माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के प्रति प्रेषित प्रकरण में श्रीमान जी द्वारा प्रकरण संख्या 49/23 को दिनांक 30.10.2023 को निरस्त फरमा दिया गया। श्रीमान जी के आदेश दिनांक 30.10.2023 के विरूद्ध अपील अनुवानी कुलदीप सिंह वना नरसिंह को प्रेषित की गई जो दिनांक 20.03.2024 को नोट प्रेस में निरस्त फरमा दी गई। वर्तमान रास्ता स्वीकृति प्रकरण **Principal of Res judicata** के सिद्धान्त से प्रभावित होता है। इसलिये प्रकरण को इसी स्टेज पर निरस्त फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र की चरण संख्या– 5 जिस प्रकार से वर्णित है की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं है तथा ना ही प्रार्थीगण उक्त प्रकरण में पक्षकारान है। प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

कारण निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या– 7 जिस प्रकार से वर्णित है चल रहे प्रकरण पर किसी प्रकार से भी **Res judicata** के सिद्धान्त लागू नहीं होते हैं यह सिद्धान्त उन प्रकरणों पर लागू होते है जिन प्रकरणों में पक्षकारान सेम हो तथा विषयवस्तु भी सेम हो। परन्तु इस प्रकरण में पक्षकारान अलग अलग है इस कारण से **Res judicata** का सिद्धान्त इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है इस कारण अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी सुखदेव सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विशेष हर्जाना से निरस्त फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री मोहन लाल माहर(मूल प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. में अप्रार्थी) की मुख्य बहस प्रार्थना पत्र धारा 11 सपठित आदेश 22 नियम 2 सी.पी.सी. यह रही कि प्रार्थी के पिता एवं प्रार्थी संख्या 2 ससुर तथा अप्रार्थी संख्या 3 हरपाल के ही पुत्रगण मुकन्द सिंह व राजविन्द्र सिंह पिसरान मेहर सिंह द्वारा अन्य प्रार्थीगण के साथ एक नियमित प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का व अनुवानी कुलदीप सिंह बनाम नरसिंह आदि प्रकरण संख्या 49/23 (833/18) श्रीमान जी के समक्ष वाके चक 3 बडा के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5–6–15–16–25 में 02–02 बिस्वा रास्ता स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसको न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा निर्णय दिनांक 30.10.2023 को अल्टरनेटिव रास्ता होने के आधार पर खारिज किया जा चुका है। पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवम् वर्तमान में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों में मुरबा नम्बर 54 के किला नम्बर 5–6–15–16–25 में 02–02 बिस्वा रास्ता की मांग की गई है। उसी मुरबा के काश्तकार हैं, उसी मुरबे से इसी प्रकार का रिलिफ चाहा गया है। पार्टी सेम नहीं है पर उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान रास्ता स्वीकृति प्रकरण **Principal of Res judicata** के सिद्धान्त से प्रभावित होता है। इसलिये प्रकरण को इसी स्टेज पर निरस्त फरमाया जावे। बहस के समर्थन में वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त– 2024 (1) RRT 455, 2019 (2) RRT 1138 पेश किये गये एवम् प्रार्थना पत्र कुलदीप सिंह बनाम नरसिंह वगैरह की प्रति, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 03.10.2018 की प्रति, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 19.08.2020 की प्रति, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 20.02.2023 की प्रति, उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 30.10.2023 की प्रति पेश की गई। **जवाब बहस में वकील अप्रार्थी श्री सुभाष मिढढा (मूल प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. में प्रार्थी) की मुख्य बहस यह रही कि** प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण की कार्यवाही को लम्बा करने की नियत से किया गया है। चल रहे प्रकरण पर किसी प्रकार से भी **Res judicata** के सिद्धान्त लागू नहीं होते हैं। यह सिद्धान्त उन प्रकरणों पर लागू होता है जिन प्रकरणों में पक्षकारान सेम हो तथा विषयवस्तु भी सेम हो। परन्तु इस प्रकरण में पक्षकारान अलग अलग है। इस कारण से **Res judicata** का सिद्धान्त इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है। इस कारण अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे। वकील प्रार्थी श्री सुभाष मिढढा द्वारा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त– 2024 (1) RRT 162 पेश किया गया।

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मन अध्ययन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 सपठित आदेश 22 नियम 2 सी. पी.सी. के निर्णय हेतु न्यायालय द्वारा मुख्य 4 बिन्दुओं पर विचारण किया जाना है:–

1. क्या विचाराधीन प्रकरण एवं पूर्व में निर्णित प्रकरण में समान भूमि है?
2. क्या पक्षकारान के मध्य विचाराधीन प्रकरण एवं पूर्व में निर्णित प्रकरण में समान विवाद है?
3. क्या हस्तगत प्रकरण 251–ए में एवम् पूर्व में निर्णित प्रकरण में पक्षकार समान है?
4. क्या इस प्रकरण में रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है?

1. क्या विचाराधीन प्रकरण एवं पूर्व में निर्णित प्रकरण में समान भूमि है?

अप्रार्थी(मूल प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. में प्रार्थी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए आर.टी.ए. एवम् पूर्व में निर्णित प्रकरण संख्या 49/2023 अनवान कुलदीप सिंह बनाम नरसिंह अन्तर्गत धारा 251–ए आर.टी.ए. निर्णय दिनांक 30.10.2023 का अवलोकन करने से साबित है कि पूर्व में निर्णीत प्रकरण एवम् हस्तगण प्रकरण में मुरबा नम्बर 54 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में से 2–2 बिस्वा रास्ता का अनुतोष चाहा गया है। दोनो प्रकरण में भूमि समान है। इसलिए बिन्दु संख्या 1 प्रार्थी(मूल प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी. ए. में अप्रार्थी) के पक्ष में जाता है।

2. क्या पक्षकारान के मध्य विचाराधीन प्रकरण एवं पूर्व में निर्णित प्रकरण में समान विवाद है?

दोनो प्रकरणों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों प्रकरणों में पक्षकारान के मध्य रास्ते का विवाद भी समान है। इसलिए बिन्दु संख्या 2 प्रार्थी(मूल प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. में अप्रार्थी) के पक्ष में जाता है।

3. क्या हस्तगत प्रकरण 251–ए में एवम् पूर्व में निर्णित प्रकरण में पक्षकार समान है?

पूर्व में निर्णित प्रकरण अनवान कुलदीप सिंह बनाम नरसिंह में जिन प्रार्थीगण के द्वारा रास्ता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था इस प्रकारण में उन प्रार्थीगण के उत्तराधिकारियों के द्वारा हस्तगत प्रकरण धारा 251–ए आर.टी.ए. का प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रार्थी(मूल प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. में अप्रार्थी) द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त–2024 (1) RRT 455, 2019 (2) RRT 1138 इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं। इसलिए बिन्दु संख्या 3 प्रार्थी(मूल प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. में अप्रार्थी) के पक्ष में जाता है।

4. क्या इस प्रकरण में रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है?

पूर्व में निर्णीत प्रकरण अनवान कुलदीप सिंह बनाम नरसिंह अन्तर्गत धारा 251–ए आर.टी.ए. का निर्णय न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर अन्तिम निर्णय दिनांक 30.10.2023 किया जा चुका है। जिस कारण हस्तगत प्रकरण पर अप्रार्थी (मूल प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. में प्रार्थी) द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त–2024 (1) RRT 162 इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है। उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

वारो बिन्दु अप्रार्थी (मूल प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. में प्रार्थी) के पक्ष में साबित न होकर प्रार्थी (मूल प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. में अप्रार्थी) के पक्ष में साबित होते हैं। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी (मूल प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. में अप्रार्थी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 सपठित आदेश 22 नियम 2 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी (मूल प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. में अप्रार्थी) द्वारा प्रार्थना पत्र 251–ए राज. काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता है।

आदेश दिनांक 27.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर